भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6235
दिनांक 02 अप्रैल, 2026

शहर के गैस वितरण तंत्र का विस्तार

†6235. श्री पी. पी. चौधरीः
श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाहः
श्रीमती कमलजीत सहरावतः
डॉ. हेमांग जोशीः
श्री शंकर लालवानीः
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः
डॉ. मन्ना लाल रावतः
श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्रीमती संजना जाटवः
श्री मनोज तिवारीः
श्री बलभद्र माझीः
श्री मनीष जायसवालः
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटीः
श्री महेश कश्यपः
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः
श्री बिभु प्रसाद तराईः
डॉ. संजय जायसवालः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने, नबरंगपुर लोक सभा क्षेत्र और हजारीबाग एवं रामगढ़ जिले सहित देश में घरेलू उपयोग के लिए पाइपयुक्त प्राकृतिक गैस (पीएनजी) और परिवहन के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से शहरी गैस वितरण (सीजीडी) तंत्र के विस्तार की हालिया समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा प्राधिकृत वर्तमान में देश में, विशेषकर राजस्थान और विशेष रूप से भरतपुर में सीजीडी तंत्र के अंतर्गत आने वाले भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) की वर्षवार संख्या कितनी है, साथ ही, पिछले तीन वर्षों में सीजीडी तंत्र के विस्तार में हुई प्रगति क्या है तथा सीएनजी स्टेशन और पीएनजी कनेक्शन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विशेषकर राजस्थान, नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और हजारीबाग एवं रामगढ़ जिलों में उन जिलों या क्षेत्रों को चिह्नित किया है जहां पिछली निविदाओं के अंतर्गत आवंटन के बावजूद सीजीडी अवसंरचना अभी तक शुरू नहीं हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों में गैस वितरण अवसंरचना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ) पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन देना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) स्टेशन बनाना और पाइपलाइन अवसंरचना बिछाना, नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास का हिस्सा है जिसे पीएनजीआरबी द्वारा प्राधिकृत कंपनियों द्वारा उनके न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) और तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अनुसार किया जाता है। 12/12ए सीजीडी बोली दौर पूरा होने के बाद, पीएनजीआरबी ने 307 भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज) में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए कंपनियों को प्राधिकृत किया है जो पूरे देश के मुख्य भू-भाग (जिसमें नबरंगपुर लोकसभा क्षेत्र और हज़ारीबाग और रामगढ़ ज़िलों के क्षेत्र भी शामिल हैं) को कवर करती हैं । पिछले 3 वर्षों के दौरान पूरे देश में पीएनजी घरेलू (डी) कनेक्शनों और सीएनजी स्टेशनों की प्रगति का ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

पीएनजीआरबी ने राजस्थान राज्य (2 जीए मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैले हुए 1 जीए पंजाब और राजस्थान में फैला हुआ और 1 जीए यू.पी. और राजस्थान में फैला हुआ) सहित 17 जीए को प्राधिकृत किया है। भरतपुर, फिरोजाबाद (ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन) जीए के अंतर्गत आता है, जिसे पीएनजीआरबी ने सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए गेल गैस लिमिटेड को प्राधिकृत किया है। राजस्थान राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएनजी (डी) कनेक्शनों और सीएनजी स्टेशनों का जीए -वार ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

नबरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी का हिस्सा है और नबरंगपुर ज़िलों के जीए को सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए अडानी टोटल गैस लिमिटेड को प्राधिकृत किया गया है और अब तक इस जीए में 3 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। हज़ारीबाग और रामगढ़, बोकारो का हिस्सा हैं और हज़ारीबाग और रामगढ़ जिले के जीए को सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्राधिकृत किया गया है और 31.01.2026 की स्थिति के अनुसार, प्राधिकृत कम्पनी ने 13,653 पीएनजी (डी) कनेक्शन प्रदान किए हैं और इस जीए में 27 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए हैं। सीजीडी कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर सीजीडी नेटवर्क की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। यदि कोई देरी या कमी होती है, तो कंपनियों को सुधारात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है। इसमें उन्हें प्रगति समीक्षा बैठकों के लिए बुलाना या मौजूदा नियमों के तहत वैधानिक सुनवाई के लिए बुलाना शामिल है ताकि प्राधिकृत जीए में उनके

एमडब्ल्यूपी लक्ष्यों से जुड़ी चुनौतियों और नवीनतम अपडेट पर चर्चा की जा सके। इसके अलावा, सरकार संबंधित राज्यों में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए राज्य सरकारों के साथ नियमित बातचीत और बैठकें करती है और इस संबंध में आने वाली चुनौतियों का समाधान करती है।

सरकार ने देश में सीएनजी (परिवहन)/ पीएनजी (घरेलू) क्षेत्र को प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिसमे,अन्य बातों के साथ-साथ, सीएनजी (टी)/ पीएनजी (डी) को प्राथमिकता के आधार पर घरेलू गैस आवंटित करना; सीएनजी (टी)/ पीएनजी (डी) क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से घरेलू गैस को डाइवर्ट करना; सीजीडी नेटवर्क का विस्तार करना; सीजीडी परियोजनाओं को 'सार्वजनिक उपयोगिता' का दर्जा देना; सीएनजी (टी)/ पीएनजी (डी) उद्देश्यों के लिए उपलब्ध माध्यमों (कैस्केड मोड सहित) से घरेलू गैस की आपूर्ति के लिए अधिसूचना जारी करना; सीएनजी (टी)और पीएनजी (डी) क्षेत्रों के लिए दो-तिमाही पहले के आधार पर घरेलू प्राकृतिक गैस आवंटित करना; राष्ट्रीय गैस ग्रिड पाइपलाइन का विस्तार करना; द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनल स्थापित करना; और बायो- सीएनजी को बढ़ावा देने के लिए 'संधारणीय परिवहन की दिशा में दीर्घकालिक विकल्प' (एसएटीएटी) जैसी पहलें शामिल हैं। सरकार ने यह भी अधिसूचित किया है कि गहरे पानी, अत्यधिक गहरे पानी और उच्च दबाव-उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में हुई खोजों से उत्पादित गैस के मामले में ऐसी किसी भी स्थिति में जहाँ बोली प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत की गई गैस का आनुपातिक वितरण आवश्यक हो, संविदाकार सीएनजी (टी)/ पीएनजी (डी) क्षेत्र से संबंधित बोलीदाताओं को प्राथमिकता के आधार पर गैस की पेशकश करेगा।

हाल ही में, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत 24.03.2026 को एक व्यापक नियंत्रण आदेश जारी किया गया है जिसका उद्देश्य देश भर में पाइपलाइन अवसंरचना, विशेष रूप से सीजीडी के समयबद्ध विस्तार को सुगम बनाना है। यह आदेश सख्त समय-सीमा निर्धारित मार्ग का अधिकार (आरओडब्लू) और अनुमतियाँ प्रदान करने के लिए एक समान ढांचा प्रदान करता है, देरी होने पर स्वतः स्वीकृतियाँ प्रदान करने की सुविधा देता है और सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अनधिकृत शुल्क लगाने पर रोक लगाता है। यह आवासीय और निजी क्षेत्रों में पहुँच संबंधी मुद्दों का भी भेदभाव रहित और समयबद्ध अनुमतियाँ सुनिश्चित करके समाधान करता है जिससे पाइपलाइन बिछाने में आने वाली प्रमुख बाधाएँ दूर हो जाती हैं।

अनुलग्नक – I

'शहर के गैस वितरण तंत्र का विस्तार' के संबंध में दिनाँक 02.04.2026 को पूछे गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 6235 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

देश भर में पिछले 3 वर्षों में पीएनजी घरेलू (डी) कनेक्शन और सीएनजी स्टेशनों की प्रगति

क्र .स .	अवधि	पीएनजी (डी) कनेक्शन	सीएनजी स्टेशन
1.	मार्च, 2024	1,29,22,516	6,861
2.	मार्च, 2025	1,50,41,471	8,067
3.	जनवरी, 2026	1,62,60,754	8,616

(स्रोत- पीएनजीआरबी)

अनुलग्नक – II

'शहर के गैस वितरण तंत्र का विस्तार' के संबंध में दिनाँक 02.04.2026 को पूछे गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 6235 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

राजस्थान राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएनजी (डी) कनेक्शन और सीएनजी स्टेशनों का जीए-वार विवरण

क्र. स.	भौगोलिक क्षेत्र	राज्य	प्राधिकृत सीजीडी कंपनी	प्राधिकार की तिथि	लक्ष्य पूरा होने की तिथि	पीएनजी (डी) कनेक्शन			सीएनजी स्टेशन		
						मार्च, 2024	मार्च, 2025	जनवरी, 2026	मार्च, 2024	मार्च, 2025	जनवरी, 2026
1	कोटा	राजस्थान	राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड	01-जून-09	30-जून-14	34370	54151	69070	10	12	12
2	बाड़मेर , जैसलमेर और जोधपुर जिले	राजस्थान	एजीपी सीजीडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	28-सितंबर-18	30-सितंबर-30	50881	51002	51005	39	41	45
3	अलवर (भिवाड़ी के अलावा) और जयपुर जिले	राजस्थान	टोरेंट गैस जयपुर प्राइवेट लिमिटेड	27-08-2018 (शुरू होने की नई तारीख 01.04.2022)	31-मार्च-30	3757	9691	14840	55	61	70
4	कोटा जिला (ईएएए), बारां और चित्तौड़गढ़ (केवल रावतभाटा तालुका) जिले	राजस्थान	टोरेंट गैस लिमिटेड	13-सितंबर-18	30-सितंबर-28	2500	4167	5703	16	17	19
5	भीलवाड़ा और बूंदी जिले	राजस्थान	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	14-सितंबर-18	30-सितंबर-28	1018	1908	4258	17	20	20
6	चित्तौड़गढ़ (रावतभाटा के अलावा) तालुका) और उदयपुर जिले	राजस्थान	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	13-सितंबर-18	30-सितंबर-28	2149	17073	24734	38	40	42
7	धौलपुर जिला	राजस्थान	धौलपुर सीजीडी प्राइवेट लिमिटेड	28-सितंबर-18	30-सितंबर-28	609	1805	2622	8	8	8
8	झाबुआ , बांसवाड़ा , रतलाम और डूंगरपुर जिले	मध्य प्रदेश और राजस्थान	गुजरात गैस लिमिटेड	29-मार्च-19	31-मार्च-29	863	1182	1380	31	33	32
9	अजमेर, पाली और राजसमंद जिले	राजस्थान	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	29-मार्च-19	31-मार्च-29	200116	261683	271752	68	83	84
10	जालोर और सिरोही जिले	राजस्थान	गुजरात गैस लिमिटेड	29-मार्च-19	31-मार्च-29	7237	8430	10129	30	31	32

11	आगर मालवा , नीमच , मंदसौर और झालावाड़ जिले	मध्य प्रदेश और राजस्थान	मेघा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	15-मार्च-22	31-मार्च-30	0	0	0	4	5	9
12	फाजिल्का (पहले से प्राधिकृत क्षेत्र को छोड़कर), गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले	पंजाब और राजस्थान	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	04-मई-22	30-जून-30	4842	7067	32594	20	26	32
13	बीकानेर और चूरू जिले	राजस्थान	गैसोनेट सर्विसेज (आरजे) लिमिटेड	15-मार्च-22	31-मार्च-30	0	0	0	6	10	11
14	झुंझुनू , सीकर और नागौर जिले	राजस्थान	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	23-03-2022 (शुरू होने की नई तारीख 01.04.2023)	31-मार्च-31	864	5619	6441	12	43	43
15.	दौसा , करौली , सवाई माधोपुर और टोंक जिले	राजस्थान	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	15-मार्च-22	31-मार्च-30	53	3336	6138	14	43	52
16.	भिवाड़ी (अलवर जिले में)	राजस्थान	हरियाणा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (भिवाड़ी)	01-अगस्त-18	30-सितंबर-25	5419	5914	6789	4	5	5
17.	फिरोजाबाद (ताज ट्रापेजियम क्षेत्र)	उत्तर प्रदेश और राजस्थान	गेल गैस लिमिटेड	26-सितंबर-11	25-अगस्त-14	22700	24563	29079	45	48	53
कुल						337378	457591	5,36,534	417	526	569

(स्रोत- पीएनजीआरबी)
